



## कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

// परिपत्र //

क्रमांक / स्टे.आयु. / एफ-29 / 2015 / 558

भिलाई, दिनांक 14/10/2015

निगम के समस्त विभागों में नस्ती पंजीयन अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं किन्तु निर्देश के अनुसार नस्तियों का पंजीयन नहीं किया जा रहा है। अतएवं सर्व विभाग प्रमुख एवं समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में जारी निर्देश के अनुसार नस्ती पंजीयन के साथ नस्ती में किये जाने वाले पत्राचार में भी नस्ती का नंबर को अनिवार्य रूप से लेख किया जावे।

उक्त परिपत्र का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करें।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

पृ.क्रमांक / स्टे.आयु. / एफ-29 / 2015 / 559  
प्रतिलिपि -

भिलाई, दिनांक 14/10/2015

1. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता (एक/दो), नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. सहायक आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. सर्व कार्यपालन अभियंता/जोन कमिश्नर, जोन क्र. 1,2,3,4,5 एवं 6 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. सर्व प्रशासकीय अधिकारी, जोन क्र. 1,2,3,4,5 एवं 6 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. सर्व विभाग प्रमुख..... नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम, भिलाई। वेबसाईड में अपलोड करने हेतु।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई